(84)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर बैंच उज्जैन (म.प्र.)

प्र. क्र. 6965/16 विविध रिवीजन

PBR/ पुनर्स्थापन /उज्जैन/भू.रा./2017/2826

नेत्रपालसिंह ________ आवेदक

विरूद्ध

बलवीर सींह आदि ___ अनावेदक गण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) भू. राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी/ आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है।

(1) यह कि, आवेदक ने एक निगरानी अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत की है और उक्त निगरानी आज दिनांक को ग्राह्यता के नियत थी। आवेदक अभिभाषक अन्य न्यायालय मे व्यस्त थे उनकी आवाज लगने पर उपस्थित नही होने पर प्रकरण अनुपस्थिती के आधार पर निरस्त कर दिया है। प्रोसेडिंग के तुरंत पश्चात माननीय न्यायालय मे उपस्थित हुए तो पता चला की प्रकरण अनुपस्थिती मे निरस्त कर दिया, उक्त अनुपस्थिती सद्भावना पर आधारित होकर क्षमा किये जाने योग्य है और अनुपस्थिती निरस्त कर प्रकरण पुन: रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

अतएव श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुन: रिकार्ड पर लिए जाने बाबत् आदेश प्रदान करने की कृपा।

दि. 17-08-17

प्रार्थी

द्वारा अभिभाषक नेत्रपाल सिंह - अपीलांट

P. S. Rawat
Adv.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुर्नस्थापन/उज्जैन/भू.रा./2017/2826

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17-8-2017 का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने गुण-दोष पर आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः यह प्रकरण प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	